

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(11)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 24.01.2022

::आज्ञा::

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ विधि अधिकारियों की दो वर्ष की परिवीक्षाधीन आधार पर नियुक्ति इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 27.09.2021 एवं 11.08.2021 को की गई थी, जिसमें उन्हें 15 दिवस के अन्दर पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित किया गया था।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.01.2022 द्वारा नवनियुक्त किए गए कनिष्ठ विधि अधिकारी जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, उन्हें दिनांक 18.01.2022 तक कार्यग्रहण कर इस विभाग को कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के बावजूद निम्न अभ्यर्थी आदेशों की अनुपालना में नियत समयवाधि व दिनांक 18.01.2022 तक कार्यग्रहण करने में विफल रहे हैं।

अतः निर्देशानुसार निम्न अभ्यर्थीगण, जिनकी नियुक्ति कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर की गई थी, की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	मेरिट नम्बर	नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश दिनांक	पता
1.	पूजा गुप्ता	4	27.09.2021	सुश्री पूजा गुप्ता पुत्री श्री अनिल गुप्ता आदर्श स्कूल के पास, अग्रवाल कॉलोनी बाड़मेर, राजस्थान-302018
2.	नेहा पुरोहित	18	11.08.2021	सुश्री नेहा पुरोहित पुत्री श्री नरसिंह कुमार पुरोहित ए-42, लक्ष्मी शिव कृपा मौसम विभाग रोड़ मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बीकानेर राजस्थान-334004
3.	नीलम अग्रवाल	26	11.08.2021	सुश्री नीलम अग्रवाल पुत्री श्री हंसराज गुप्ता ई-79, मुरलीपुरा स्कीम, आर.के. फर्नीचर के सामने सीकर रोड़, जयपुर, राजस्थान-302039
4.	निशा गौड़	33	27.09.2021	श्रीमती निशा गौड़ पत्नी श्री विवेक शर्मा वार्ड नं.-3, मण्डी मौहल्ला, विराट नगर, जिला जयपुर राजस्थान-303102
5.	भुवनेश शर्मा	55	11.08.2021	श्री भुवनेश शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द शर्मा 251, विश्वकर्मा नगर-1 महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर राजस्थान-302018

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित उपरोक्त अभ्यर्थी।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव